नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/8572/2026/38-2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 775/पी.यू./07/ओ.एण्ड.एस./2015/23117 दिनांक 26–11–2025 द्वारा ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का संशोधित परिनियम क्रमांक 17(A) एवं अध्यादेश क्रमांक 5 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 27(5) एवं धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद् द्वारा, उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता हैं।

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, उप–सचिव.

ओ॰ पी॰ जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ॰ग॰)

परिनियम क्रमांक – 17(A)

शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति

(राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी)

1. प्रबंध मंडल (बीओएम) विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् के माध्यम से संकाय/विभाग से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अन्य नियामक निकायों के अनुसार समय–समय पर अध्ययन शालाओं/विभागों में प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक जैसे शिक्षण पदों के लिए रिक्तियों को अंतिम रूप देगा। प्रबंध मंडल (बीओएम) सीधी भर्ती करने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही में, पदों की मंजूरी हेतु शासी निकाय को अनुशंसा के लिए भेजेगा।

2. शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी), अकादमिक परिषद की अनुशंसा का मूल्यांकन करेगा एवं रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षणिक रिक्तियों को भरने की मंजूरी देगा, तथा संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार समय–समय पर भर्ती सुनिश्चित करेगा।

3. रिक्त शैक्षणिक पदों के लिए विज्ञापन व्यापक प्रसार वाले राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापित करेगा, जिसमें आवश्यक एवं वांछनीय योग्यताऐं और विशेषज्ञताऐं, यदि कोई हाँ, का उल्लेख हो। प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए यूजीसी या संबंधित नियामक निकाय द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी।

4. प्राप्त आवेदनों को छान–बीन से पूर्व विधिवत दर्ज किया जाएगा। कुलपति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों की परीक्षण समिति सभी आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण करेगी और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए आवश्यक योग्ताऐं, पूरी करने वाले सभी आवेदकों के शैक्षणिक प्राप्तांक के साथ एक सारांश तैयार करेगी।

   पात्र एवं अपात्र उम्मीदवारों की सूची, अपात्रता के कारणों सहित, विश्वविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

5. सभी पात्र उम्मीदवारों के आवेदन पत्र और सारांश, शैक्षणिक अंकों सहित, प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

6. अ चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

   i. कुलपति – अध्यक्ष।

   ii. प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो, ऐसा शिक्षाविद जिसे छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा नामित किया जाएगा।

   iii. विश्वविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय के बाहर से होंगे।

   iv. संकायाध्यक्ष (डीन)।

   v. विभागाध्यक्ष/अध्ययनशाला के अध्यक्ष, जो प्राध्यापक के पद से नीचे का न हो।

   vi. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/दिव्यांग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई शिक्षक जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, यदि इनमें से किसी भी वर्ग का कोई भी उम्मीदवार आवेदक है और यदि चयन समिति का कोई भी सदस्य उस वर्ग से संबंधित नहीं है।

   vii. विश्वविद्यालय के कुलसचिव सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

ब कम से कम दो बाहरी विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्यों (सदस्य सचिव को छोड़कर) से गणपूर्ति (कोरम) होगी।

टिप्पणी:

1. चयन समिति द्वारा नामित शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ आवेदक के पद से कम से कम एक स्तर उच्च पद पर होना चाहिए।
2. प्राध्यापक के चयन की स्थिति में विषय विशेषज्ञ अनुभवी प्राध्यापक होना चाहिए। संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।
3. पुस्तकालयाध्यक्ष और खेल प्रशासन जैसे पदों पर चयन के लिए, जैसा भी मामला हो, कम से कम एक सदस्य को क्रमशः कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष और निदेशक, शारीरिक शिक्षा/खेल में से विशेषज्ञ के रूप में नामित किया जाएगा।

7\. अ चयन समिति की अनुशंसाऐं उचित निर्णय के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल/शासी निकाय या समकक्ष सांविधिक निकाय के समक्ष रखी जाएगी।

ब चयन में किसी भी विवाद/असहमति की स्थिति में मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

8\. प्रबंध मंडल/शासी निकाय के अनुमोदन के पश्चात्, कुलसचिव चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे, जिसमें समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा–निर्देशों के अनुसार सेवा शर्तें, बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ आदि का उल्लेख होगा तथा विश्वविद्यालय के लेटर हेड पर उनके हस्ताक्षर और मुहर होगी।

9\. सीधी भर्ती के अलावा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अन्य विनियामक निकायों की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के अनुसार मौजूदा संकाय सदस्यों को पदोन्नत करेगा। इस तरह की पदोन्नति की प्रक्रिया समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगी।

10\. नियमित शिक्षकों के अलावा अकादमिक परिषद/प्रबंध मंडल/शासी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा–निर्देश का पालन करते हुए उत्कृष्ट शैक्षणिक और शोध उपलब्धियों वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे कि प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, विषिष्ट प्रोफेसर, एडजंक्ट प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति करेगा, ताकि विश्वविद्यालय के शिक्षण, शोध और विस्तार गतिविधियों में अकादमिक नवाचार और उत्कृष्टता को समावेषित किया जा सके। यूजीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियम और शर्तें, अवधि, मानदेय आदि पर आपसी सहमति से निर्णय लिया जा सकता है।

11\. पूर्णकालिक शिक्षकों के अतिरिक्त, कुलपति, प्रबंध मंडल/शासी निकाय के अनुमोदन से, समय–समय पर राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, निश्चित अवधि के लिए अंशकालिक, संविदात्मक और/या असाइनमेंट आधारित पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लेंगे।

12\. नियुक्ति से संबंधित कोई भी विवाद/कानूनी मामला छत्तीसगढ़ से संबंधित जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

संशोधित अध्यादेश क्रमांकः 05
ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय
पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए अध्यादेश का प्रारूप

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रकिया) विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप)

1. **लघ, शीर्ष एवं प्रारम्भः**

1.1 इस अध्यादेश को विश्वविद्यालय में पीएच.डी. प्रदान करने के लिए अध्यादेश कहा जाएगा।

1.2 यह अध्यादेश राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2 **परिभाषाएं** – इस अध्यादेश में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

i. "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, समय समय पर यथा संशोधित;

ii. "**अनुबंधक संकाय**" से अभिप्रेत है एक अंशकालिक या आकस्मिक प्रशिक्षक, लेकिन पूर्णकालिक संकाय सदस्य नहीं, जो विश्वविद्यालय द्वारा पढाने के लिए नियुक्त किया गया;

iii. "**क्रेडिट**" से अभिप्रेत है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में तीन–क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह एक घंटे के तीन व्याख्यान जिसमें प्रत्येक एक घंटे के व्याख्यान को एक क्रेडिट के रूप में गिना जा सकता ह;

iv. "**आयोग**" से अभिप्रेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है;

v. "**उपाधि**" से अभिप्रेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22 (3) के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई उपाधि;

vi. "**वाह्य परोक्षक**" से अभिप्रेत एक शिक्षाविद/छात्रवृति प्राप्त शोधकर्ता जो शोधकार्य प्रकाशित होने के साथ विश्वविद्यालय में नियोजित नहीं है जहां पीएच.डी. शोधार्थी ने पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है;

vii. "**विदेशी शैक्षिक संस्थान**" से अभिप्रेत (i) उस देश में विधिवत स्थापित या निगमित ऐसे संस्थान से है जो अपने देश में स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम पेश करता हो और (ii) जो पारंपरिक मुखाभिमुख तरीके के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के कार्यक्रम(ओं) की पेशकश करता हो, ना कि ऑनलाइन मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से;

viii. "**शासन**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

ix. "**गाइड/शोध पर्यवेक्षक**" से अभिप्रेत है उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त एक शिक्षाविद/शोधकर्ता जो पीएच.डी. शोधार्थी और उसके शोध की निगरानी करे;

x. "**उच्च शिक्षण संस्थान**" से अभिप्रेत ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एचईआईस) से है, जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार स्वयं या अपने संबद्ध विश्वविद्यालयों के माध्यम से डिग्री प्रदान करने का अधिकार है;

xi. "**अंतर्विषयक/बहुविशयक शोध**" से अभिप्रेत है दो या दो से अधिक शैक्षणिक विषयों में पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा किया गया शोध;

xii. "**मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम**" से अभिप्रेत यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम एवं ऑनलाइन कार्यक्रमो) विनियम, 2020 में परिभाषित के समान है;

xiii. "**साहित्यिक चोरी**" से अभिप्रेत किसी और के कार्य या विचार को स्वयं के मूल कार्य के रूप में प्रकाशित करान से है;

xiv. "**कार्यक्रम**" से अभिप्रेत है आयोग की धारा 22 की उप–धारा (3) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपाधि के लिए अपनाये जाने वाला उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम है;

xv. **''विवरण–पुस्तिका''** से अभिप्रेत कोई भी प्रकाशन है, चाहे वह प्रिंट में हो या अन्यथा, विश्वविद्यालय और कार्यक्रमों से संबंधित सर्वसाधारण जनता को (जो विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक हो) निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो;

xvi. **''शोध प्रस्ताव''** से अभिप्रेत है प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा देने वाला एक संक्षिप्त आलेख जो पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ पीएच.डी. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

xvii. **''सेमेस्टर''** से अभिप्रेत लगभग 6 महीने की अवधि का शैक्षणिक सत्र है, जिसकी अवधि विश्वविद्यालय द्वारा तय और घोषित की जायेगी;

xviii. **''विश्वविद्यालय''** से अभिप्रेत ह ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

3 उपाधि का प्रदानः

विश्वविद्यालय में अनुमोदित संकायों के सभी विषयों में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधि प्रदान की जा सकती है।

4 पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडः

निम्नलिखित उम्मीदवार पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे:

अ. जिन उम्मीदवारों ने निम्न कार्य पूर्ण कर लिए है:

4 वर्षीय/8 सेमेस्टरों की स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 1 वर्षीय/2 सेमेस्टर की स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम या 3 वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2 वर्षीय/4 सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम या संबंधित वैधानिक नियामक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यता, कुल मिलाकर कम से कम 55% अंको के साथ या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, वहां पॉइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड या मूल्यांकन और मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जिसे अपने देश के कानून के तहत स्थापित या निगमित किसी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत किया गया हो या उस देश में शैक्षणिक संस्थान की गुणवत्ता और मानकों का आकलन, मान्यता या आश्वासन देने के लिए कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण हो।

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है।

बशर्ते कि 4 वर्षीय/8 सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक या पॉइंट स्कल पर इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए, जहाँ भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है।

यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिए गये निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत अंको या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है।

ब. जिन अभ्यार्थियों ने कुल मिलाकर कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ एम.फिल. कार्यक्रम पूरा किया है या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है, वहां अंक पैमाने में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है या किसी मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता प्राप्त की है, जो अपने देश में किसी कानून के तहत स्थापित या निगमित किसी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है या दश में शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता और मानकों का मूल्यांकन, प्रत्यायन या आश्वासन देने के लिए कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण है, वे पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत अंको या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है।

5 कार्यक्रम की अवधिः

अ. पीएचडी कार्यक्रम कोर्स वर्क सहित न्यूनतम तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए होगा, और पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम छह (6) वर्ष की अवधि होगी।

ब. इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (2) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है; बशर्ते कि पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से आठ (8) वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

बशर्ते कि, महिला पीएचडी स्कॉलर और विकलांग व्यक्तियों (जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है) को दो (2) वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है; हालांकि, ऐसे मामलों में पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्श से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स. महिला पीएचडी शोधार्थियों को पीएचडी कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

द. पूर्णकालिक पीएचडी शोधार्थी को अनुसंधान केन्द्र में कम से कम 300 दिन की उपस्थिति दर्ज करानी होगी और पर्यवेक्षक और/या सह-पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा।

बशर्ते कि अंशकालिक मोड पर काम करने वाले पीएचडी शोधार्थी को थीसिस जमा करने तक संस्थान में पर्यवेक्षक और/या सह-पर्यवेक्षक के साथ प्रति सेमेस्टर न्यूनतम 30 संपर्क दिवस बिताने होंगे।

6 विभागीय अनुसंधान समिति (डीआरसी):

अ. पीएचडी उपाधि से संबंधित सभी शैक्षणिक मामलों को विभागीय अनुसंधान समिति (इसके बादःडीआरसी) द्वारा संसाधित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. अध्ययन शाला/विभाग का प्रमुख (अध्यक्ष)।

ii. विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त अध्ययन शाला/विभाग के सभी शिक्षक।

iii. डीआरसी के अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए।

iv. मान्यता प्राप्त पीएचडी पर्यवेक्षकों की संख्या कम होने की स्थिति में कुलपति अन्य/संबंधित विभागों से सदस्यों को नामित करेंगे।

ब. डीआरसी की निम्नलिखित जिम्मेदारी होगी:

i. शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के विषय को मंजूरी देना।

ii. शोध के अध्ययन डिजाइन और कार्यप्रणाली तथा उसके द्वारा किये जाने वाले पाठ्यक्रम को मंजूरी देना।

iii. संबंधित आरएसी द्वारा प्रस्तुत पीएचडी शोधार्थियों के शोध कार्य की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना और उसे मंजूरी देना।

स. प्रत्येक शोधार्थी के लिए एक शोध सलाहकार समिति (आरएसी) होगी। पीएचडी शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक दो अन्य सदस्यों के साथ इस समिति का संयोजक होगा। यह समिति शोध प्रस्ताव की समीक्षा करेंगी, विषय को अंतिम रूप देगी, शोध प्रोटोकॉल और अध्ययन की रूपरेखा के लिए मार्गदर्शन करेगी, पीएचडी शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगी और सहायता करेगी।

7 प्रवेश की प्रक्रियाः

अ. पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसमें समय-समय पर यूजीसी/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश /मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा।

ब. पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधि से किया जाएगाः

i. विश्वविद्यालय द्वारा फेलोशिप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाल यूजीसी-नेट/यूजीसी-सी.एस. आई.आर नेट/गेट/सीईईडी तथा इसी प्रकार की राष्ट्रीय/शासन स्तर की परीक्षाओं में छात्रों को साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दे सकता है।

और/या

ii. विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकता है। प्रवेश परीक्षा के लिए कार्यक्रम यूजीसी दिशानिर्देशों (शोध पद्धति पर 50% तथा विशय विशेष पर 50%) का पालन करते हुए संबंधित अध्ययन–मंडल द्वारा तैयार किया जाएगा।

iii. प्रवेश परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्र साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर)/दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% अंको की छूट, आयोग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार दी जाएगी।

iv. विश्वविद्यालय उपलब्ध पीएचडी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या तय कर सकता है।

v. सहायक प्राध्यापक पद के लिए नेट उत्तीर्ण करने वाले तथा शासन द्वारा आयोजित सेट/स्लेट उत्तीर्ण तथा पीएचडी मे प्रवेश हेतु नेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यार्थियों के चयन के लिए नेट का या संबंधित स्कोर का 70% तथा साक्षात्कार में 30% अधिभार दिया जाएगा।

vi. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर अभ्यार्थियों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा का 70% तथा साक्षात्कार में प्रदर्शन का 30% वेटेज दिया जाएगा।

स. विश्वविद्यालय द्वारा अपने संस्थान की वेबसाइट पर एक विवरणिका जिसमें प्रवेश के लिए सीटों की संख्या, मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक के साथ उपलब्ध सीटों का विशय/विषय–वार वितरण, प्रवेश के लिए मानदंड, प्रवेश की प्रक्रिया और उम्मीदवारों के लिए अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी पहले से ही सूचित करेगा।

द. विश्वविद्यालय को सभी पीएचडी पर्यवेक्षकों (पर्यवेक्षक का नाम, उसका पदनाम, अध्ययन शाला/विभाग) की सूची बनाए रखनी होगी, साथ ही उनके अंतर्गत प्रवेश पाने वाले पीएचडी शोधार्थियों (पंजीकृत पीएचडी शोधार्थी का नाम, उसके शोध का विषय और प्रवेश की तिथि) का विवरण भी अपनी वेबसाइट पर रखना होगा तथा प्रत्येक शेक्षणिक वर्श में इस सूचो को अद्यतन करना होगा।

य. डीआरसी, साक्षात्कार के दौरान प्रति संकाय सदस्य छात्रों की संख्या, पर्यवेक्षक के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता और उम्मीदवार की शोध रूचि के आधार पर, उम्मीदवार और पर्यवेक्षक की आपसी सहमति से, योग्य उम्मीदवार के लिए पर्यवेक्षक आवंटित करेगी।

8 अनुसंधान पर्यवेक्षक का आबंटनः

अ. विश्वविद्यालय में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले किसी भी स्थायी शिक्षक को पीएचडी की उपाधि और सहकर्मी–समीक्षित या रेफरीड पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशनों के साथ और विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफसर के रूप में काम करने वाले किसी भी स्थायी शिक्षक को पीएचडी की उपाधि और सहकर्मी–समीक्षित या रेफरीड पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध प्रकाशनों के साथ शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोधार्थी का पर्यवेक्षण नहीं कर सकते, जहाँ वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते है। किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी ऐसे शिक्षक के पर्यवेक्षण में पीएचडी प्रदान करना जो विश्वविद्यालय का शिक्षक नही है, इन विनियमों का उल्लंघन होगा।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत पीएचडी शोधार्थी, जिनकी डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है, ऐसे अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के समकक्ष है, को पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है, यदि वे उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते है।

बशर्ते कि ऐसे क्षेत्रों/विषयों में जहां समकक्ष समीक्षा या रेफरी द्वारा समिक्षित पत्रिकाएं नहीं हैं, या उनकी संस्था सीमित है, विश्वविद्यालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ किसी व्यक्ति को अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता देने के लिए उपरोक्त शर्त में छूट दे सकता है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उसी विभाग या उसी संस्थान के अन्य विभागों या अन्य संस्थानों से सह–पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है।

अनुबंध संकाय सदस्य अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगे तथा केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते है।

ब. अंतःविषयक/बहुविषयक अनुसंधान कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो विभाग/अध्ययन शाला/विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।

स. एक पात्र प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर किसी भी समय क्रमशः आठ(8)/छह(6)/चार(4) पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता हैं।

द. विवाह या अन्य कारणों से किसी महिला पीएचडी स्कॉलर के स्थानांतरण के मामले में, शोध डेटा को उस उच्च शिक्षा संस्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, जहां स्कॉलर स्थानांतरित होना चाहती है, बशर्ते अध्यादेश में अन्य सभी शर्तों का पालन किया जाए और शोध कार्य किसी फंडिंग एजेंसी द्वारा मूल संस्थान/पर्यवेक्षक को स्वीकृत परियोजना से संबंधित न हो। हालांकि, ऐसे स्कॉलर को पहले से किए गए शोध के हिस्से के लिए मूल संस्थान और पर्यवेक्षक को उचित श्रेय देना होगा।

य. सेवानिवृत्ति से पहले तीन साल से कम सेवा वाले संकाय सदस्यों को नए शोधार्थियों को अपने पर्यवेक्षण में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, ऐसे संकाय सदस्य सेवानिवृत्ति तक पहले से पंजीकृत पीएचडी शोधार्थियों का पर्यवेक्षण करना जारी रख सकते है और सेवानिवृत्ति के बाद सह–पर्यवेक्षक के रूप में काम कर सकते है, लेकिन 70 वर्श की आयु प्राप्त करने के बाद नहीं।

9 पीएचडी कार्यक्रम में अंतराष्ट्रीय छात्रों का प्रवेशः

अ. प्रत्येक पर्यवेक्षक खंड 8(स) में निर्दिष्ट पीएचडी शोधार्थियों की अनुमत संख्या के अतिरिक्त, अधिसंख्य आधार पर अधिकतम दो अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है।

ब. विश्वविद्यालय समय–समय पर संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों/मानदंडो को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पीएचडी प्रवेश के लिए अपनी स्वयं की चयन प्रक्रिया तय करेंगा।

स. किसी भी समय, किसी संकाय सदस्य के अधीन, पर्यवेक्षक या सह–पर्यवेक्षक के रूप में, पीएचडी शोधार्थियों की कुल संख्या खंड 8(स) और 9(अ) मे निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

10 कोर्स वर्कः

(क्रेडिट आवश्यकताएँ, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, पूरा करने के लिए न्यूनतम मानक, आदि)

अ. पीएचडी कोर्सवर्क के लिए क्रेडिट की आवश्यकता न्यूनतम 12 क्रेडिट है जिसमें "शोध और प्रकाशन नैतिकता" शामिल है। कोर्सवर्क में शोध पद्धति शामिल होनी चाहिए जिसमें कम्प्यूटर एप्लीकेशन शामिल हो सकता है। कार्स वर्क का पाठ्यकम संबंधित विषय के अध्ययन–मंडल (BoS) द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा।

ब. डीआरसी पीएचडी कार्यक्रम कार्य के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के भाग के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की भी अनुशंसा कर सकता है।

स. सभी पीएचडी शोधार्थियों को, चाहे वे किसी भी विशय से हों, अपनी डॉक्टरेट अवधि के दौरान अपने चुने हुए पीएचडी विशय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/अध्यापन/लेखन में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। पीएचडी स्कॉलर्स को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन करने के लिए प्रति सप्ताह 4–6 घंटे का शिक्षण/शोध सहायक कार्य भी सौंपा जा सकता है।

द. जिन अभ्यर्थियों के पास पहले से ही एम.फिल. की डिग्री है या जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.फिल. या प्री पी.एच.डी. में कार्सवर्क पूरा कर लिया है तथा विश्वविद्यालय कार्स वर्क के समतुल्य अपेक्षित क्रेडिट अर्जित कर लिए है, उन्हें डी.आर.सी. द्वारा पी.एच.डी. कोर्सवर्क से छूट दी जा सकती है।

य. कार्यक्रम में जारी रहने तथा अपना शोध–प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए पात्र होने हेतु किसी पीएचडी छात्र को कार्सवर्क म यूजीसी के 10–बिन्दु पैमाने पर न्यूनतम 55: अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना आवश्यक है।

र. पर्यवेक्षक की अनुशंसा और डीआरसी के अनुमोदन पर, कोर्सवर्क विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर सहयोगी अध्ययनशाला/विभाग में अभ्यार्थियों द्वारा किया जा सकता है।

11 अनुसंधान उपाधि समिति और इसके कार्यः

अ. अनुसंधान उपाधि समिति (आरडीसी) मे निम्नलिखित सदस्य होंगेः

1. कुलपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति
2. संकायाध्यक्ष
3. विषय के विभागाध्यक्ष/अध्ययन शाला के अध्यक्ष
4. अध्ययन–मंडल के अध्यक्ष/संबंधित विषय के वरिष्ठ संकाय सदस्य
5. मान्यता प्राप्त संस्थान के विश्वविद्यालय प्रोफेसर/निदेशक के पद का एक वाह्य विषय विशेषज्ञ कुलपति द्वारा संबंधित अध्ययन–मंडल के अध्यक्ष द्वारा दिए गए छह (6) विशेषज्ञों के पैनल में से नियुक्त किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ का कार्यकाल अध्ययन–मंडल के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

   एक वाह्य विशेषज्ञ और दो सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

ब. आरडीसी की बैठक संकाय/विभाग की आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

विशेष परिस्थितियों में कुलपति किसी वाह्य विषय विशेषज्ञ को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन बैठक में शामिल होने की अनुमति दे सकते है।

समिति डीआरसी द्वारा तैयार अनुमोदित पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक की सूची को उनकी विशेषज्ञता के साथ अनुमोदित करेगी।

आर.डी.सी. औपचारिक रूप से पीएचडी उपाधि के लिए उम्मीदवार के पंजीकरण का अनुमोदन करेंगी। आर.डी.सी. को डी.आर.सी. द्वारा अग्रेशित विशय–संक्षेप में संशोधन/परिवर्तन (यदि आवश्यक हो) का सुझाव देने का अधिकार होगा।

12 **छमाही प्रगति रिपोर्टः**

अ. हर छह महीने में शोधार्थी को डीआरसी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी प्रस्तुति देनी होगी और अपने शोधकार्य की प्रगति पर एक सक्षप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। डीआरसी शोधार्थी की प्रगति रिपोर्ट पर एक प्रति के साथ अपनी अनुशंसा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी।

ब. यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक है, तो डीआरसी इसके कारणों को दर्ज करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को लागू करने में विफल रहता है, तो डीआरसी विशिष्ट कारणों के साथ शोधार्थी के पीएचडी पंजीकरण को रदद् करने की अनुशंसा कर सकती है।

13 **थीसिस का सारांश प्रस्तुत करनाः**

अ. शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पहले, पीएचडी शोधार्थी को डीआरसी के समक्ष एक प्रस्तुति देनी होगी, जिसमे सभी संकाय सदस्यों और अन्य शोधार्थियों को भी सम्मिलित होने की अनुमति होगी, ताकि शोधार्थी फीडबैक और टिप्पणियां प्राप्त कर सके, जिन्हें पर्यवक्षक की सलाह से मसौदा थीसिस में शामिल किया जा सकता है।

ब. पीएचडी शोधार्थी को थीसिस जमा करने से पहले कम से कम दो शोध पत्र प्रकाशित करने होंगे, जिनमें से एक यूजीसी केयर लिस्ट/स्कोपस/डब्लूओएस में सूचीबद्ध जर्नल में से हो, एक समकक्ष समीक्षा/रेफरी जर्नल में हो तथा दो शोधपत्र प्रस्तुतियाँ सम्मेलन/सेमिनार में देनी होंगी।

स. विश्वविद्यालय के पास यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट अनुसंधान कार्य में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए सुविकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग करने वाला एक तंत्र होगा और शोध सत्यनिष्ठा पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए निमित सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होगा।

द. एक पीएचडी शोधार्थी को कार्य के सारांश की तीन प्रतियां और थीसिस की तीन प्रतियां मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करनी होगी तथा साथ में (क) एक वचनबद्धता कि कोई साहित्यक चोरी नहीं हुई है और (ख) शोध पर्यवेक्षक से एक प्रमाण पत्र जो थीसिस की मौलिकता को प्रमाणित करता है और यह कि थीसिस किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी अन्य डिग्री/डिप्लोमा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है, जमा करना होगा।

य. पीएचडी थीसिस जमा करते समय थीसिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति जमा करना अनिवार्य है।

14 **मूल्यांकन एवं आकलन पद्धतियां, उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक/क्रेडिट आदिः**

अ. पर्यवेक्षक को कम से कम छह परीक्षकों के नामों का एक पैनल प्रस्तुत करना होगा, जो संबंधित शोध क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगे हुए हों और एसोसिएट प्रोफेसर के पद से नीचे न हों। पर्यवेक्षक से परीक्षकों के पैनल और उम्मीदवार से कार्य का सारांश प्राप्त होने पर, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित परीक्षा समिति (संकायाध्यक्ष, अध्ययन मंडल के अध्यक्ष, विभाग/अध्ययन शाला के प्रमुख) की बैठक बुलाएगा। पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत पैनल पर विचार करते हुए समिति परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए छह नामों का एक पैनल तैयार करेगी। कुलपति समिति और पर्यवेक्षक द्वारा अनुशंसित दोनों पैनलों में से दो परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

पीएचडी शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो वाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संबंधित विशय के विशेशज्ञ हों। ऐसे परीक्षकों को संबंधित विशय में विद्वत्तापूर्ण प्रकाशनों के अच्छे रिकॉर्ड वाले शिक्षाविद होना चाहिए। वाह्य परीक्षकों मे से एक को राज्य के बाहर से और जहाँ संभव हो तो भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए।

यदि दोनों वाह्य परीक्षक उनके द्वारा सुझाए गए किसी भी सुधार को शामिल करने के बाद थीसिस को स्वीकार करने की अनुशंसा करते है, तो पीएचडी शोधार्थी को थीसिस का पक्ष रखने के लिए मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

यदि वाह्य परीक्षकों में से कोई एक अस्वीकृति की अनुशंसा करता है, तो विश्वविद्यालय अनुमोदित परीक्षकों के पैनल से एक वैकल्पिक वाह्य परीक्षक को थीसिस भेजेगा, और मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वीकृति की अनुशंसा करता है।

यदि वैकल्पिक परीक्षक थीसिस को स्वीकार करने की अनुशंसा नहीं करता है, तो थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा और शोधार्थी को शोध उपाधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

मौखिक परीक्षा मंडल में विषय के आरडीसी के अध्यक्ष, शोध पर्यवेक्षक और कम से कम दो बाहृय परीक्षकों में से एक शामिल होगा। मौखिक परीक्षा मे शोध उपाधि समिति के सभी सदस्य/संकाय सदस्य/शोधार्थी, और छात्रों तथा अन्य इच्छुक शिक्षाविद शामिल हो सकते है।

ब. विश्वविद्यालय पीएचडी थीसिस के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया, जिसमें मौखिक परीक्षा परिणाम की घोषणा भी शामिल है, थीसिस जमा करने की तारीख से छह (6) महीने की अवधि के भीतर पूर्ण करेगा।

15 मौखिक परीक्षा:

मौखिक परीक्षा विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग/विषय के अध्ययनशाला में या विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किसी स्थान पर आयोजित की जाएगी। मौखिक परीक्षा की तिथि, समय और स्थान कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर कम से कम एक सप्ताह पहले अधिसूचित किया जाएगा। मौखिक परीक्षा के समय परीक्षक मंडल को बाह्य परीक्षकों की रिपोर्ट प्रदान की जाएगी जिसे मौखिक परीक्षा के उपरांत परीक्षक मंडल प्रतिवेदन के साथ कुलसचिव को वापस किया जाएगा। बाहृय परीक्षक, आंतरिक परीक्षक और डीआरसी अध्यक्ष औपचारिकताएं पूरी करेंगे और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

16 अंशकालिक पद्धति (पार्ट–टाईम) के माध्यम स पीएच.डी.:

अ. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इन विनियमों में निर्धारित सभी शर्ते पूरी हों।

ब. विश्वविद्यालय अंशकालिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए उम्मीदवार के माध्यम से उस संगठन में उपयुक्त प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करेगा जहां उम्मीदवार कार्यरत है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि :

- अभ्यर्थी को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने का अनुमति है।
- उसके आधिकारिक कर्तव्य उसे अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते है।
- यदि आवश्यक हो तो उसे निर्धारित पाठ्यक्रम (कोर्स वर्क) पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

17 अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करना:

पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने से पूर्व, विश्वविद्यालय उम्मीदवार को इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा कि पीएच.डी. की उपाधि इस अध्यादेश क प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है।

18 **पर्यवेक्षक का परिवर्तन:**
विशेष परिस्थितियों में कुलपति द्वारा डीआरसी या इस उद्देश्य के लिए कुलपति द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर उम्मीदवार को कुलपति द्वारा पर्यवेक्षक बदलने की अनुमति दी जा सकती है। पर्यवेक्षक के परिवर्तन के कारण शोध के विषय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

19 **इनफ्लिबनेट के साथ डिपॉजिटरी:**
मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलापूर्वक पूर्ण होने के बाद और पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने की घोशणा से पहले, विश्वविद्यालय शोधग्रंथ (पीएच.डी. थीसिस) की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति इनफ्लिबनेट को प्रस्तुत करेगा, ताकि इसे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

20 **शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषाएँ:**
इस अध्यादेश में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानकों और प्रक्रिया के लिए यूजीसी विनियमन 2022 में परिभाशित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो यूजीसी (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियमन 2022 में निर्दिष्ट है।

21 **इस अध्यादेश की अधिसूचना से पहले पीएच.डी. उपाधि प्रदान करना:**
यह अध्यादेश राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा। इस अध्यादेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पहले पंजीकृत सभी पीएचडी विद्वान उन अध्यादेशों द्वारा शासित होते रहेंगे जिनके तहत उन्हें मूल रूप से प्रवेश दिया गया था। इस अध्यादेश के प्रावधान केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो राजपत्र में इसकी अधिसूचना के बाद पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करते हैं।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जून 2026

क्रमांक GENS/8572/2026/38-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02–06–2026 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज कुमार मिश्रा, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 2nd June 2026

NOTIFICATION

No. GENS/8572/2026/38-2.— Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 775/पी.यू./07/ओ.एण्ड.एस./2015/23117 Dated 26–11–2025 the amended Statute No.17(A) and Ordinance No. 5 of O.P. Jindal University, Raigarh has been approved under Section 27(5) and Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Statute and Ordinance in Official Gazette.

3. The above Statute and Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR MISHRA, Deputy Secretary.

O. P. JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C.G.)

STATUTE NO. – 17(A)

Appointment Of Teachers & Other Academic Staff in the University
(to be effective from the date of its publication in Gazette)

1. The Board of Management (BoM) shall finalize the vacancies for teaching positions, viz., Professors, Associate Professors, and Assistant Professors across the Schools/ Departments from time to time following the UGC and other regulatory bodies after receiving the proposal from the Faculty/ Department via the Academic Council of the University. BoM shall forward the recommendations to the Governing Body for approval of the posts to proceed with the direct recruitment process.

2. The Governing Body (GB) shall assess the recommendation of the Academic Council and approve filling up the teaching vacancies through an open advertisement and transparent selection process, ensuring periodic recruitment as per institutional needs.

3. The advertisement for vacant teaching positions shall be advertised in National daily newspapers of wider circulation and on the university official website, clearly mentioning the essential and desirable qualifications and specializations, if any, Educational qualification and the pay scale for the post shall be as per norms prescribed by the UGC or the concerned regulatory body. The last date of the receipt of the applications must be clearly mentioned.

4. The applications received shall be duly recorded before screening. A screening Committee of three members, appointed by the Vice Chancellor, shall screen all the applications and prepare a summary along with the academic score of all the candidates satisfying the essential qualifications to be called for interview.

   The list of eligible and non-eligible candidates shall be displayed on the university notice board/ website with reasons of rejection of non-eligible candidates.

5. The applications and the summary along with the academic scores of all the eligible candidates shall be placed before the selection committee with the relevant documents.

6. a The selection Committee shall consist of the following people:
   i. Vice-Chancellor – Chairman
   ii. An academician not below the rank of Professor to be nominated by the CGPURC.
   iii. Three experts in the subject concerned nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutary body of the university, who shall be from outside the University.
   iv. Dean of the Faculty
   v. Head/ Chairperson of the Department/ School, not below the rank of Professor.
   vi. A teacher representing SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates from any of these categories is the applicant and if any of the members of the selection committee does not belong to that category.
   vii. Registrar of the University shall act as the member secretary

b Five members (excluding member secretary), including at least two external subject experts, shall constitute the quorum.

Note:

1. The academicians and subject experts nominated for the selection committee shall be at least one level above the cadre level of the applicant.
2. For the selection of Professor, experts shall be experienced professors. The Dean/ Head shall not be below the rank of Professor.
3. For selection to the posts like librarian and sport administration, as the case may be, at least one member shall be nominated from amongst practicing librarian and director, physical education/sports respectively as an expert.

7. a The recommendations of the Selection Committee shall be placed before the BoM/ GB or equivalent statutory body of the University for an appropriate decision.

   b In case of any dispute/ dissent note in the selection, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

8. After approval of the BoM/ GB, the Registrar shall issue the appointment letter to the selected candidates, indicating service conditions, insurance, retirement benefits etc. in the light of UGC guidelines from time to time, with his signature and seal on the University Letter head.

9. In addition to direct recruitment the university shall upgrade the cadre of existing faculty members following Career Advancement Scheme (CAS) of the UGC and other regulatory bodies. The process for such advancement shall be as per UGC guidelines from time to time.

10. In addition to regular teachers the AC/ BoM/ GB shall appoint people of eminence with outstanding academic and research achievements such as Professor of Eminence, Distinguished Professor, Adjunct Professor, Visiting Professor, Professor of Practice following UGC guidelines for introducing academic innovation and excellence in teaching, research and extension activities of the university. The terms and conditions, duration, honorarium etc. can be mutually agreed upon by the university as per UGC guidelines.

11. In addition to full-time teachers, the Vice-Chancellor with approval of BoM/ GB shall decide to engage for a fixed period, part-time, contractual and/or assignment-based positions following State Government guidelines from time to time.

12. Any dispute /legal matter in appointment shall be subject to the jurisdiction of concerned District court/ High court of Chhattisgarh.